Desirable: (i) One year's experience in the relevant field. (ii) Certificate/ Diploma possessed in the field of Hotel Management/ Hospitality Management/ Cooking/ Catering/ Food Processing.		incumbent has to complete mandatory induction training of two to four weeks duration as prescribed by administrative ministry.	Commission.	

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Deputy Secretary/Joint Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission — Chairman (2) Under Secretary (in charge of General Branch), Union Public Service Commission — Member (3) Under Secretary (in charge of Recruitment Branch), Union Public Service Commission — Member.	Not applicable.

[F. No. 39021/04/2019-Estt. (B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 132.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा माध्यम) भर्ती नियम 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में ज्येष्ठ अनुसन्धान अधिकारी (भाषा माध्यम) समूह 'क' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा माध्यम) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा माध्यम)।	01* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, (अननुसचिवीय)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700 – 208700)	लागू नहीं होता।	आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में मास्टर डिग्री; या जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; या जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; या जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री हो जिसमें

डिग्री स्तर पर एक अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या

जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री हो जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या

जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री हो जिसमे डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहे हो या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो।

(ii) मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में अकादमी और तकनीकी सन्दर्भ के पाठों का हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में प्रयोग की जाने वाली या अनुप्रयुक्त शब्दावली में पांच वर्ष का अनुभव जिनके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसन्धान या शैक्षिक संस्थानों के अधीन परीक्षा सम्बन्धी कार्य का अनुभव भी है।

वांछनीय अर्हताएं: हिंदी में प्रदत्त दर्शन शास्त्र का या भाषा विज्ञान अनुसन्धान में प्रकाशन का कार्य का डॉक्ट्रेट डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वी स्तर पर भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी के सिवाय किसी एक भाषा में अध्ययन किया हो।

टिप्पण 1:- अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2:- अनुभव सम्बन्धी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाये संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति :-** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
लागू नहीं होता।	एक वर्ष **टिप्पण:** परिवीक्षा के सफल समापन के लिए, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा यथा विहित दो - चार सप्ताह की अवधि के अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण को पूरा करना होगा।	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी । (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में नियमित आधार पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हों; (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनी है: (1) सचिव, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष (2) अपर सचिव (प्रशासन शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य (3) अपर सचिव, (परीक्षा सुधार शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 39021/01/2020-स्था. (बी)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 8th November, 2021

G.S.R. 132.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Union Public Service Commission, Senior Research Officer (Language Medium) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Research Officer(Language Medium) Group 'A' in the office of the Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Senior Research Officer (Language Medium) Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix .- The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of posts**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age limit for direct recruits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Senior Research Officer	01*(2021) *Subject to variation	General Central Service, Group 'A' Gazetted,	Level-11 (67700-208700) in	Not applicable.	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions and

(Language Medium).	dependent on work load.	Non-Ministerial.	the pay matrix.		orders issued by Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age- limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits
(7)
Essential: (i) Master's Degree from a recognised University in Linguistics; or Master's Degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level: or Master's Degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level; or Master's Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level; or Master's Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level; or Master's Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level. (ii) five years experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, of texts of academic and technical content, in different disciplines of humanities, social sciences, science and technology including experience of handling examination work under Central Government or State Government or Union territories or autonomous bodies or statutory organizations or public sector undertakings or Universities or recognised research or educational Institutions. **Desirable qualification:** A Doctor of Philosophy awarded in Hindi or published work in linguistic research; or studied one of the languages other than Hindi included in Eighth Schedule of the Constitution of India at 10^{th} level from a recognised Board. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable	One year **Note:** There shall be a mandatory	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or	Not applicable.

	induction training of two-four weeks duration as prescribed by administrative Ministry or Department for successful completion of probation.	long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years' regular service in posts in Level -10 of the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Secretary, Union Public Service Commission - Chairman (2) Additional Secretary (In-charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Member (3) Additional Secretary (In-charge of Examination Reforms Branch), Union Public Service Commission - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post.

[F. No. 39021/01/2020-Estt. (B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 133.—राष्ट्रपति ,संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, सांख्यिकी-सह-चिकित्सा अभिलेख पुस्तकाध्यक्ष भर्ती नियम, 1992 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में सांख्यिकीविद्-सह-चिकित्सा अभिलेख पुस्तकाध्यक्ष के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, सांख्यिकीविद्-सह-चिकित्सा अभिलेख पुस्तकाध्यक्ष)समूह 'ग' पद), भर्ती नियम2021 , है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -**उक्त पद की संख्या ,उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2)से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।